पंजीयन संख्या : 68939/98 अंक - 15, वर्ष 24

ज्ञान तत्व

समाज शास्त्र

अर्थ शास्त्र

धर्म शास्त्र

राजनीति शास्त्र

453

-: सम्पादक :-

बजरंग लाल अग्रवाल

रामानुजगंज (छ.ग.)

सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

पोस्ट की तारीख 15.08.2024

प्रकाशन की तारीख 01.08.2024

पाक्षिक मूल्य - 2.50/- (दो रूपये पचास पैसे)

oSpkfjd dlkSVh ij ^0;fä* Hkkx 1

0;fä dk vfèkdre vfgalk vkj jkT; dk mfpr fgalk djuh pkfg,

% आज से हम वैचारिक धरातल पर एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जो करीब 15 दिन चलेगी और इस श्रृंखला के माध्यम से हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि आदर्श व्यक्ति में कौन–कौन से गुण होने चाहिए। मेरे विचार से आदर्श व्यक्ति का सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण यह होना चाहिए कि वह किसी भी परिस्थिति में न स्वयं हिंसक हो, न हिंसा का समर्थन करें। वर्तमान दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में हिंसा के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और आमतौर पर लोग जाने–अनजाने में हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। भारत में हिंसा के प्रति जो विश्वास बढ़ा है उसके दो प्रमुख कारण हैं– पहला राज्य का उचित हिंसा के स्थान पर न्यूनतम हिंसा का प्रयोग करना बहुत घातक हुआ है। आम नागरिकों में अपनी सुरक्षा के लिए कानून पर से विश्वास घटता गया है और समानांतर सुरक्षा की कोशिश की जाने लगी है। यदि राज्य ही सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा तो आम लोगों में अपनी सुरक्षा के लिए कानून तोड़ने की मजबूरी स्वाभाविक है। हिंसा बढ़ने का दूसरा कारण यह है कि सावरकरवादी, मुसलमान और कम्युनिस्ट पूरी तरह हिंसा को प्रोत्साहित करने लगे, साथ ही गांधीवादी भी सावरकरवाद के विरोध में साम्यवादी और मुस्लिम हिंसा के समर्थक हो गए। परिणाम हुआ कि अहिंसा का समर्थक भारत में कोई बचा ही नहीं। बौद्ध लोग भी धीरे–धीरे कम्युनिस्ट हो गए और हिंसा के समर्थक हो गए। अहिंसा के समर्थक सिर्फ गांधी और महावीर ही सामने दिखते हैं। इन दोनों की अहिंसा में भी बहुत फर्क था। महावीर की अहिंसा सिद्धांतों पर अधिक मजबूती से खड़ी है, जबकि गांधी की अहिंसा व्यावहारिक धरातल पर दिखाई देती है। इस तरह महावीर की अहिंसा की तुलना में गांधी की अहिंसा ज्यादा उपयोगी है। अब पूरे समाज को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। वर्तमान समय में अहिंसा को व्यक्ति के स्वभाव में आदर्श रूप में मान्य करने की आवश्यकता है।

अहिंसा हमेशा व्यावहारिक धरातल पर सफल होती है, सैद्धांतिक धरातल पर उचित नहीं मानी जाती है। यही कारण है कि बुद्ध और जैन की अहिंसा ने हीं भारत को गुलाम बना दिया और गांधी की अहिंसा ने भारत को स्वतंत्र करा दिया। स्पष्ट है कि भारत प्राचीन समय से वर्ण व्यवस्था के अनुसार हिंसा और अहिंसा में भेद करता था अर्थात हमारी सुरक्षा के लिए हिंसा बहुत जरूरी थी और सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य की थी, समाज की नहीं। इसका

अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में तब तक हिंसा का सहारा नहीं ले सकता जब तक उसने वर्ण व्यवस्था के अनुसार राज्य की जिम्मेदारी न संभाल ली हो। सबसे बड़ी बुराई आई कि बुद्ध और जैन ने अहिंसा को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया और गांधी के मरने के बाद हमारे राजनेताओं ने भी अहिंसा की अव्यावहारिक परिभाषा को नहीं समझा। परिणाम हुआ कि बुद्ध और जैन के बाद हम गुलाम हो गए, गांधी के बाद हम अराजकता की ओर बढ़ गए। ठीक यही स्थिति भारत के अतिरिक्त दुनिया के अन्य देशों में भी हुई। यहूदी संतुलित हिंसा के पक्षधर थे इसाई सैद्धांतिक हिंसा के, पक्ष में चले गए। परिणाम हुआ कि दुनिया में हिंसक मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ने लगा इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हिंसा और अहिंसा के बीच चर्चा करते समय समाज को सैद्धांतिक हिंसा का पालन करना चाहिए और राज्य को कभी भी अहिंसा का पालन नहीं करना चाहिए। स्पष्ट है कि भारत की वर्ण व्यवस्था दुनिया के लिए आदर्श हो सकती है। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी हिंसा का उपयोग नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं राज्य से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मुझे किसी भी परिस्थिति में डंडे का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैंने इस धर्म का जीवन भर पालन किया और मैं अपने आप को सफल मानता हूं।

vkikrdky e: l)kfrd lR; dh txg 0;kogkfjd lR; dk ç;kx %

सामाजिक श्रृंखला पर चर्चा करते समय हम दो दिनों तक अहिंसा पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम सत्य पर चर्चा करेंगे। सैद्धांतिक रूप से सत्य बोलना बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन व्यावहारिक धरातल पर सत्य बोलना बहुत कठिन होता है। इस सिद्धांत और व्यवहार के बीच का तालमेल आवश्यक हो जाता है लेकिन हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के पहले सैद्धांतिक सत्य समाज में बहुत प्रचलित था और आज हम व्यावहारिक सत्य से भी नीचे असत्य की तरफ बढ़ते चले गए हैं। पहले समाज में लोग झूठ नहीं बोलते थे, न्यायालय में कभी–कभी बोलते थे, और अब समाज में तो झूठ आमतौर पर बोली जाती है न्यायालय में तो कभी सच बोला ही नहीं जाता। आखिर इतनी गिरावट का कारण क्या है?

मैंने इस संबंध में जब विचार किया तो यह पाया कि किसी भी समाज में कानून की मात्रा जितनी अधिक होती है उस समाज में सत्य बोलना उतना ही कठिन होता चला जाता है। यदि समाज में कानून की मात्रा 99: तक हो जाएंगे तो इसका यह साफ अर्थ है कि असत्य बोलने वालों की संख्या 99: बढ़

जाएगी। कानून और असत्य इन दोनों का चोली दामन का संबंध है। इसलिए यदि आप सत्य को स्थापित करना चाहते हैं तो कानून की मात्रा कम से कम कर दीजिए, सत्य समाज में स्थापित हो जाएगा।

सत्य सैद्धांतिक भी होता है और व्यावहारिक भी होता है। जब समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही हो तब व्यक्ति को सैद्धांतिक आधार पर सत्यवादी होना चाहिए, जब व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ हो, आपको न्याय मिलने की संभावना कम हो, तब व्यक्ति को सैद्धांतिक सत्य छोड़कर व्यावहारिक सत्य का मार्ग पकड़ना चाहिए। मैंने अपने जीवन के प्रारंभ में ही यह महसूस किया कि हमें व्यावहारिक सत्य का मार्ग पकड़ना चाहिए क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यावहारिक सत्य का मतलब यह है कि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं हर गुप्त बात को सबके सामने सत्य प्रकट कर दूं। परिस्थिति के अनुसार सत्य को छिपा तो सकता हूं, किंतु झूठ नहीं बोल सकता। फिर भी यदि मेरे सामने शत्रु खड़ा हो जाए तो शत्रु के सामने झूठ बोला जा सकता है। इस तरह मैंने बचपन में ही यह सिद्धांत बनाया कि पुलिस, न्यायालय एवं अन्य सरकारी विभाग और शत्रु के समक्ष में झूठ बोल सकूंगा। मैं ऐसे झूठ को झूठ नहीं मानूंगा लेकिन जब भी समाज में कोई बात बोलूंगा तो वह सच ही बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा और यदि कहीं जरूरत पड़ी तो मैं सच बोलने से चुप रह जाऊंगा, अपने को बचा लूंगा। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्षत्रिय को भी झूठ से बचना चाहिए, वैश्य झूठ का सहारा ले सकता है और शूद्र भी परिस्थिति अनुसार झूठ बोल सकता है। इस तरह कार्य विभाजन के अनुसार झूठ और सत्य इनकी अलग–अलग परिभाषाएं दी गई हैं और मैं समझता हूं कि यह परिभाषाएं बिल्कुल ठीक है। मैंने जीवन भर इन परिभाषाओं का प्रयोग किया और अपने को झूठ बोलने से बचा कर रखा।

ox&leUo; gh lkekftd 0;ogkj dk vkèkkj % सामाजिक विषयों की श्रृंखला में आज हम पांचवें दिन चर्चा कर रहे हैं, आज का विषय है वर्ग समन्वय। आदर्श व्यक्ति के जीवन में वर्ग समन्वय का बहुत बड़ा महत्व होता है। सामान्यतया धूर्त व्यक्ति वर्ग विद्वेष, वर्ग–संघर्ष का सहारा लेता है लेकिन आदर्श व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह किसी भी परिस्थिति में वर्ग निर्माण को प्रोत्साहित न करें। वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष तो पूरी तरह असमाजिक कार्य माना ही जाना चाहिए लेकिन वर्ग निर्माण भी अच्छा कार्य नहीं है। पूरी दुनिया में वर्ग संघर्ष

बढ़ाने के लिए आठ आधार माने जाते हैं धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, गरीब–अमीर, किसान–मजदूर इन आठ आधारों पर धूर्त लोग वर्ग निर्माण वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष का सहारा लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के सभी राजनेताओं ने वर्ग संघर्ष का सहारा लिया और इन आठों आधारों पर लगातार सक्रियता दिखाई। भारत का कोई एक भी राजनीतिक दल नहीं है जिसने इन सभी आधारों का उपयोग न किया हो। स्वतंत्रता के बाद आठों आधारों पर लगातार सभी राजनीतिक दलों ने सक्रिय होकर वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष बढ़ाया जबकि आदर्श स्थिति वर्ग समन्वय की होनी चाहिए। मैंने अपने बचपन से ही वर्ग निर्माण के विरुद्ध लगातार प्रयत्न किया जो आज तक जारी है। आज भी मैं वर्ग समन्वय का पक्षधर हूं, वर्ग विद्वेष का नहीं। मेरे विचार से आदर्श व्यक्तित्व की पहचान में वर्ग समन्वय का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए।

efgyk&i#"k d uke ij vufpr ox l?k"k % सामाजिक विषयों पर चर्चा का आज छठवां दिन है। हम वर्ग समन्वय पर चर्चा कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल समाज को एकजुट नहीं रहने देना चाहता है, इसलिए वह समाज में वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष बढ़ाता है। यह वर्ग संघर्ष कई आधारों पर होता है लेकिन वर्तमान भारत में सबसे प्रमुख वर्ग संघर्ष महिला सशक्तिकरण के नाम से बढ़ रहा है क्योंकि अनेक आधार तो समाज को तोड़ते हैं और जब तक परिवार व्यवस्था नहीं टूटेगी तब तक वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष पूरी तरह लाभकारी नहीं हो सकेगा। इसलिए परिवारों को तोड़ने के लिए सबसे अच्छा आधार है –लिंग भेद। महिला और पुरुष के बीच यदि अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी जाए तो परिवार बहुत आसानी से टूट सकते हैं। प्राकृतिक रूप से बनावट में यह अंतर है कि पुरुष को शक्ति अधिक मिली है और महिलाओं को ब्लैकमेलिंग की ताकत ज्यादा मिली है। यह कोई आज की बात नहीं है। पुरुष श्रम और शक्ति के आधार पर अपने को श्रेष्ठ बनता और मानता है महिलाएं यौनिक शक्ति के आधार पर अपने को श्रेष्ठ बनती और मानती हैं। वर्तमान समय में एक तरफ परिवार व्यवस्था में पुरुष–महिलाओं को दबाकर रखता है तो दूसरी ओर योनि के व्यावसायिक स्तर पर महिलाएं पुरुषों को हमेशा ब्लैकमेल करती रहती हैं। अभी कल ही रायपुर शहर में तीन ऐसी बहनों को गिरफ्तार किया गया है जो वर्षों से इसी तरह ब्लैकमेल करके करोड़पति बन गई थी। पुराने जमाने में भी विष कन्या के रूप में इनका उपयोग किया जाता था। आज भी अनेक महिलाएं एक–एक रात का लाखों रुपया वसूल लेती है फिर भी आश्चर्य है कि पुरुष को अत्याचारी और महिला को कमजोर बता दिया जाता है। यह पुरुष और महिला का जो भेद किया जाता है यह इसलिए किया जाता है कि

इसके माध्यम से परिवारों को तोड़ा जा सके, समाज व्यवस्था को कमजोर किया जा सके और राजनीतिक व्यवस्था समाज के ऊपर हावी हो जाए। मेरा यह निवेदन है कि न सभी महिलाएं ठीक होती हैं ना सभी पुरुष ठीक होते हैं, सभी वर्गों में सभी प्रकार के लोग होते हैं। अत्याचार, अपराध नहीं होना चाहिए चाहे वह महिला करें या पुरुष करें। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि महिला सशक्तिकरण का नारा समाज के लिए बहुत घातक है, इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। महिला और पुरुष के बीच वर्ग समन्वय की आवश्यकता है, वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष की नहीं।

lxBu çèkku èkel ls njh cukuk vko';d % हमारी सामाजिक विषयों पर गंभीर चर्चा का आज सातवां दिन है। हम वर्ग समन्वय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम धर्म विषय पर चर्चा करेंगे कि धर्म कितना समाज तोड़क है और कितना समाज सहायक। दुनिया में धर्म के दो अर्थ प्रचलित हैं एक गुण प्रधान दूसरा संगठन प्रधान। धर्म के आधार पर हम दुनिया को चार भागों में बांट सकते हैं। हिंदू, ईसाई, मुसलमान और कम्युनिस्ट। इन चारों की धार्मिक मान्यताएं बिल्कुल अलग–अलग हैं। हिंदू पूरी तरह गुण प्रधान धर्म को मानता है यद्यपि पिछले 200 वर्षों से हिंदुओं में भी धीरे–धीरे संगठन प्रधान धर्म की शुरुआत हो गई है। लेकिन आज भी गुण प्रधान धर्म को ही प्रमुख माना जाता है। ईसाइयों में भी गुण प्रधान धर्म को प्रमुख माना जाता है यद्यपि संगठन प्रधान धर्म को भी ईसाइयों में तेजी से मान्यता मिल रही है कैथोलिक तो संगठन प्रधान होते ही हैं। प्रोटेस्टेंटों में गुण प्रधानता अधिक पाई जाती है। यदि हम मुसलमान की चर्चा करें तो मुसलमान तो पूरी तरह संगठन प्रधान ही होता है उसमें गुण प्रधानता होती ही नहीं है। यदि हम साम्यवादियों की चर्चा करें तो साम्यवादियों में ना गुण प्रधान होता है, न संगठन प्रधान होता है। गुण प्रधान धर्म का विरोध करना साम्यवाद का एकमात्र धर्म है। वह सत्य, अहिंसा या अन्य इस प्रकार के किसी भी गुण को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं है बल्कि इन गुणों का पूरी तरह विरोध करना साम्यवाद का धर्म है। यदि हम सारी दुनिया का आकलन करें तो सारी दुनिया में धर्म के नाम पर जितनी हत्याएं हुई है, जितने अपराध हुए हैं इतने अपराध दुनिया में अपराधियों ने नहीं किए होंगे और यह सारे अपराध संगठन प्रधान धर्म की उपज है या उन धर्म प्रेमियों की उपज है जो गुण प्रधान धर्म के विरुद्ध दिन–रात षड्यंत्र करते रहते हैं। आज भी दुनिया यदि अशांत बनी हुई है तो वह संगठन प्रधान इस्लाम और गुण प्रधान विरोधी कम्युनिस्टों के कारण है। यदि यह दोनों ईसाइयों और हिंदुओं से

कुछ भी सीखें तो दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। गुण प्रधान धर्म का विस्तार ही दुनिया में शांति स्थापना का एकमात्र आधार है।

o.k vkèkkfjr lekt esa tkfr 0;oLFkk & आज सामाजिक विषयों पर गंभीर चर्चा का आठवां एपिसोड प्रस्तुत है, आज हम जाति कटुता पर चर्चा करेंगे। पुराने जमाने में कर्म के अनुसार जातियों का निर्धारण हुआ था। वर्ण व्यवस्था गुण कर्म और स्वभाव को मिलाकर बनी थी और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही कर्म के अनुसार जातियों का निर्धारण होता था। जो व्यक्ति सोना या लोहे का काम करता था उसकी जाति कर्म के अनुसार अलग होती थी, जन्म के अनुसार नहीं। सुनार, लोहार यह कर्म के अनुसार थे। ब्राह्मणों की जातियां अलग थी, क्षत्रियों के अलग वैश्यों की अलग और शूद्रों की अलग। सब में अलग–अलग कर्मानुसार जातियां थी। धीरे–धीरे जब व्यवस्था रूढ़ हुई तो जन्म के अनुसार जातियां बनने लगी और इस जन्म अनुसार जाति व्यवस्था में विकृतियां पैदा हुई। इन विकृतियों के कारण समाज में अव्यवस्था पैदा हुई, अराजकता पैदा हुई। और उन अराजकताओं के कारण समाज में वर्ग बनने लग गए। समाज में जाति के आधार पर संगठनों का बनना एक मजबूरी भी थी और एक समस्या भी। राज्य अगर इस मजबूरी को दूर कर देता तो यह जातिवाद समस्या नहीं बनता लेकिन राज्य ने अपना कार्य नहीं किया, इसके कारण जातीय संगठन ज्यादा मजबूत होते चले गए। आज हिंदुओं के लिए जातीय संगठन एक बहुत बड़ी समस्या बना है। इससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं दिखता है क्योंकि जो भी राजनीतिक दल विपक्ष में होता है वह जातिवाद के सहारे ही अपनी राजनीति चलाना चाहता है। जब राजनीति का एक महत्वपूर्ण वर्ग जातिवाद को प्रोत्साहन देता है तो इस समस्या का समाधान बहुत कठिन है। वर्तमान समय में विपक्ष जातिवाद के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ना चाहता है यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका वर्तमान में कोई समाधान नहीं दिखता है किंतु समाधान करना तो आवश्यक है। इस विषय पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए।

ox&l?k"k dk cMk vkèkkj tkfrokn % आज जातिवाद पर चर्चा का हमारा दूसरा दिन है जातिवाद एक समस्या है यह बात स्वतंत्रता के बहुत पहले से अनुभव की जा चुकी थी। स्वामी दयानंद के आर्य समाज, गांधी विनोबा, जयप्रकाश के सर्वोदय और श्री राम जी शर्मा के गायत्री परिवार ने जाति भेदभाव को समाप्त करने का लगातार प्रयत्न किया। इन्होंने जातिवाद की बुराइयों को दूर करने की

कोशिश की। दूसरी ओर कम्युनिस्ट, मुसलमान और नेहरू परिवार ने अंबेडकर के साथ मिलकर जातिवाद की बुराइयों का लाभ उठाने का प्रयत्न किया। इन सब ने हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए और विभाजित करने के लिए जातिवाद का एक शस्त्र के रूप में उपयोग किया। अब अंबेडकर तो नहीं है लेकिन नेहरू परिवार, साम्यवाद और इस्लाम यह पूरी ताकत से हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए जातिवाद का उपयोग कर रहे हैं। इन सब ने मिलकर एक ऐसा रद्दी संविधान बना दिया जो जातिवाद की बुराइयों को लंबे समय तक मजबूत करने में सहायक रहा। इन समस्या को देश अच्छी तरह समझ तो रहा है किंतु असहाय है क्योंकि साम्यवाद, इस्लाम और नेहरू परिवार का गठजोड़ इतना मजबूत है कि वह जातिवाद की बुराइयों को दूर होने ही नहीं देता। प्रश्न उठता है कि इसका समाधान क्या है। मेरे विचार से जातिवाद की बुराइयों को दूर करने के लिए समाज तो अपने सामाजिक स्तर पर प्रयत्न करें लेकिन संविधान को पूरी तरह जाति धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक इकाई हो, जाति, धर्म या अन्य भेद मानना यह उसकी आंतरिक स्वतंत्रता हो सकती है, संवैधानिक अधिकार नहीं। संविधान यदि धर्म जाति निरपेक्ष हो जाए तो जातिवाद की बुराई पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस कार्य के लिए जरूरी है कि नेहरू परिवार इस्लाम और साम्यवाद की एकता को छिन्न–भिन्न किया जाए। तभी जातिवाद की बुराई से मुकाबला संभव है। क्योंकि जब तक बुरी नीयत का यह गठजोड़ शस्त्र विहिन नहीं होता तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा।

हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जातिवाद वर्ग समन्वय में बहुत बड़ा बाधक है। जातिवाद वर्ग विद्वेष का मुख्य आधार है परंतु इस समस्या के समाधान पर भी सोचना पड़ेगा। हमें तीन दिशाओं में अलग–अलग प्रयत्न करने होंगे। पहली दिशा यह होगी कि हिंदू समाज में छुआछूत और जन्मना जाति व्यवस्था को दूर करने का प्रयास करें। हम सामाजिक एकता की पूरी कोशिश करें किसी भी रूप में अब छुआछूत का समर्थन करना पूरी तरह घातक है जन्मना जाति को एक सामाजिक बुराई मानकर इस बुराई को छोड़ने के लिए हम हिंदू समाज में आंतरिक जन जागरण करें। दूसरी ओर हमारी इस बुराई का लाभ उठाने का प्रयत्न करने वाले नेहरू परिवार, साम्यवाद और मुसलमान इन तीनों के गुट का हम खुला विरोध करें। तीसरी बात कि हम पूरा प्रयत्न करें कि भारतीय संविधान पूरी तरह जाति निरपेक्ष हो, धर्मनिरपेक्ष हो, राजनीति निरपेक्ष हो। भारतीय संविधान में व्यक्ति एक इकाई हो, कहीं भी किसी भी रूप में धर्म, जाति इनका उल्लेख नहीं होना चाहिए एवं सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह

हमें यह प्रयत्न भी करना होगा कि एक राजनीति निरपेक्ष संविधान का निर्माण हो। इस तरह हमें यह तीन प्रयास एक साथ करने होंगे, तभी हम इस बीमारी से मुक्त हो पाएंगे।

Hkk"kkxr l?k"k dk c<kok doy jktuhfrd njkxg % हम सामाजिक चर्चा के अंतर्गत वर्ग समन्वय पर चर्चा कर रहे हैं, आज दसवां दिन है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह भारत में भाषा के नाम पर वर्ग संघर्ष बढ़ाने के राजनीतिक प्रयत्न किए गए। स्वतंत्रता के पहले भारत में भाषाओं के नाम पर किसी प्रकार के विवाद नहीं थे, यहां तक कि उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी यह सभी मिलजुल कर अपना काम करते थे। एक सिद्धांत के अनुसार भाषा का चयन कभी वक्ता नहीं कर सकता। सच बात यह है कि भाषा का चयन श्रोताओं की समझ के अनुसार होता है। भाषा तो सिर्फ अपने विचार दूसरों तक ठीक–ठाक पहुंचे, इसका माध्यम है इसके अतिरिक्त भाषा का कोई अर्थ नहीं है। भाषा को धर्म, जाति या किसी अन्य भावनात्मक आधार से जोड़ना उचित नहीं है क्योंकि भाषा तो सिर्फ माध्यम है। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू ने वर्ग संघर्ष बढ़ाने के लिए भाषावार प्रांत बनाने की योजना की और उसका परिणाम हुआ कि देश में भाषा पर विवाद शुरू हुए। एक तरफ तो पंडित नेहरू ने सदा के लिए अंग्रेजी को भारत पर थोप दिया। दूसरी ओर उन्होंने भाषावार प्रांत रचना भी कर दी। आप सब लोगों को आश्चर्य होगा कि इसी प्रकार की दोहरी नीतियों के कारण आज नेहरू परिवार एक तरफ तो अंग्रेजी के पक्ष में खड़ा हुआ है दूसरी तरफ इस नेहरू परिवार के लोग क्षेत्रीय भाषाओं की भी वकालत कर रहे हैं। यह वास्तव में अधूरा मापदंड है भाषाओं को प्रदेश के साथ जोड़ देने के कारण आज बंगाल, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत या कुछ अन्य प्रदेशों में भाषा के नाम पर संकीर्ण विचार पैदा हो रहे हैं। मेरा यह विचार है कि भाषा कभी भी किसी सरकार को तय नहीं करनी चाहिए। सरकारी भाषा अपनी हो सकती है चाहे आप देश में या प्रदेश में अपनी भाषा रख सकते हैं लेकिन आम लोगों के लिए ना सरकार को कोई भाषा प्रोत्साहित करनी चाहिए ना किसी भाषा को निरूत्साहित करना चाहिए। सभी भाषाएं एक दूसरे के साथ संपर्क करें, प्रतिस्पर्धा करें। इससे सरकार का कोई लेना–देना नहीं होना चाहिए।

{k=h;rk dk vkèkkj ij jkT;k dk Hkk"kkokj foHkktu % आज सामाजिक विषय पर चर्चा का हमारा 11वां दिन है और हम वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष पर चर्चा

कर रहे हैं। आज हम वर्ग संघर्ष के पांचवें बिंदु पर चर्चा करेंगे वह बिंदु है क्षेत्रीयता। पूरे देश भर को अलग–अलग क्षेत्र में बांटकर उनके अंदर क्षेत्रीयता की भावना भरी गई। यह वास्तव में हमारा संवैधानिक दोष था। आज स्थिति यह आई है कि कुछ प्रदेश अपने को स्वतंत्र घोषित करना चाहते हैं वह लगातार केंद्र सरकार के साथ अपने संबंध बिगाड़ कर रखते हैं और वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि भावनात्मक रूप से वे क्षेत्रवाद के आधार पर वर्ग संघर्ष बढ़ाते रहें। इस मामले में सबसे आगे बिहार का नाम आता है। बिहार के बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अब तो बंगाल भी इस मामले में बहुत आगे चल रहा है। क्षेत्रीयता भाषा को अपने साथ जोड़कर हमेशा वर्ग संघर्ष की दिशा में बढ़ते हैं। किसी एक प्रदेश का कोई एक छोटा–सा गांव भी यदि किसी दूसरे प्रदेश में आ जाता है तो उसके लिए दोनों प्रदेशों के लोग आपस में शत्रुता के आधार पर टकराव शुरू कर देते हैं, मरने–मारने की नौबत आ जाती है। यह क्षेत्रवाद का ही उभार है कि प्रदेशों में आपसी विभाजन की भी हमेशा कोशिश होती रहती है। यह क्षेत्रीयता संपूर्ण देश के लिए बहुत घातक है लेकिन बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्रवाद का अभी तक कोई समाधान नहीं खोजा जा सका है लेकिन मैंने इसका एक साधारण समाधान खोजा है। मेरे विचार से जिस तरह केंद्रीय सरकार के कुछ अधिकार प्रदेश सरकार को दे दिए जाते हैं और वह प्रदेश सरकार क्षेत्रीयता का सहारा लेकर टकराव बढ़ाती हैं। यदि इस तरह प्रदेश सरकारों के अधिकार जिला, गांव और परिवार तक बांट दिए जाएं तो क्षेत्रवाद की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी क्योंकि शक्तियों का विभाजन केंद्र से लेकर परिवार तक बैठ जाएगा। शक्तियां केंद्र और प्रदेश दो ही जगह नहीं रहेगी इससे प्रदेशों के पास शक्ति कम हो जाने से टकराव समाप्त हो सकता है।

orZeku dkuwu ifjokj rksMus ,oa oxZ fuekZ.k esa lgk;d % आज सामाजिक विषय पर चर्चा का हमारा 12वां दिन है। हम वर्ग समन्वय पर बढ़ाए जा रहे खतरों पर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार के खतरों में एक बड़ा खतरा है उम्र भेद। आज हम देख रहे हैं कि भारत में युवा और वृद्ध के बीच एक टकराव पैदा किया जा रहा है। एक परिवार जिसका एक सदस्य राहुल गांधी है वह सारे देश में युवा सशक्तिकरण का संदेश दे रहा है। इसी परिवार की इस राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी सारे देश में घूम–घूम कर यह संदेश दे रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस परिवार की एक सदस्य सोनिया गांधी है जो महिला सशक्तिकरण की आवाज उठा रही है। विचारणीय प्रश्न यह है इस परिवार के कुल तीन सदस्यों में से तीनों समाज में अलग–अलग सशक्तिकरण की बात कर

रहे हैं और दूसरी ओर जब घर में एक साथ बैठते हैं तब यह कभी अपने परिवार के अंदर युवा सशक्तिकरण, युवती सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण की अलग–अलग बात नहीं करते। तीनों मिलकर परिवार सशक्तिकरण की बात करते हैं। तीनों बैठकर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं लेकिन यह तीनों जब समाज में जाते हैं तो तीनों उम्र के आधार पर अलग–अलग सशक्तिकरण की बात करते हैं अलग–अलग वर्ग विद्वेष बढ़ाते हैं, अलग–अलग वर्ग संघर्ष करते हैं। सच्चाई यह है कि आज समाज में जो भी कानून बना रहे हैं वह एक तरफ युवा सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ वृद्धो की मदद के लिए भी चर्चा करते हैं समाज में यदि युवा और वृद्ध को या लड़का और लड़की को अलग–अलग बांटा गया तो यह परिवार व्यवस्था कैसे चलेगी यह समाज व्यवस्था कैसे चलेगी सामाजिक एकता का क्या अर्थ होगा? क्या सारे युवा अच्छे होते हैं और सारे वृद्ध बुरे होते हैं, क्या सारी महिलाएं अच्छी होती हैं और सारे पुरुष बुरे होते हैं क्या सारी लड़कियां अच्छी होती हैं और सारे लड़के गलत होते हैं, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के महिला–पुरुष, लड़का–लड़की, वृद्ध–युवा के विवाद समाज की समस्याओं को बढ़ाकर सिर्फ अपना पारिवारिक लाभ लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पूरे समाज को एकजुट होकर इस वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष करने वालों की पहचान करनी चाहिए। जो भी लोग युवा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण और नारी (युवती) सशक्तिकरण की बात करते हैं वह समाज तोड़क लोग हैं।

fofoèk fo"k;ksa ij efu th dh fopkj

vc efLye efgyk,a Hkh èke dh cikrh ugha %

पिछले तीन–चार दिनों से राहुल गांधी की जवान बंद हो गई है उनके मुंह से बोली नहीं निकल रही है क्योंकि राहुल गांधी दिन–रात संविधान की दुहाई दे रहे थे संविधान को लेकर उछल–कूद कर रहे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिता राजीव गांधी द्वारा बनाए गए संविधान विरोधी कानून को अस्वीकार कर दिया और फैसला दे दिया कि मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद भी यदि चाहती हैं तो वह गुजारा भत्ता ले सकती हैं। इस निर्णय का कट्टरपंथी मुसलमान इस तरह विरोध कर रहे हैं जिस तरह इन मुसलमानों के डर से राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन कर दिया था। अब राहुल गांधी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वह संविधान की दुहाई दें या कट्टरपंथी मुसलमानों के पक्ष में बोले। इसलिए

राहुल गांधी ही नहीं सभी विपक्षी नेता भी इस मामले में गूंगे–बहरे हो गए हैं क्योंकि अब भारत का मुसलमान भी धीरे–धीरे यह कहने लगा है कि देश संविधान से नहीं, शरिया से चलेगा हम शरिया मानते हैं। हिंदू लोग भले ही संविधान माने हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मुसलमान शरिया से चलेगा। अब राहुल गांधी को यह बात साफ करनी पड़ेगी कि भारत का मुसलमान शरिया से चलेगा या संविधान से।

dE;fuLVk dh opkfjdh ij dBkjk?kkr %

अभी पिछले दिनों मुकेश अंबानी ने अपने लड़के के विवाह के अवसर पर अरबों रूपया खर्च किया। इस बात के लिए मुकेश अंबानी बधाई के पात्र हैं। वास्तव में यदि एकत्रित धन विभिन्न अवसरों पर समाज के बीच खर्च नहीं किया जाएगा एक तरफ रखा हुआ धन सड़ के दुर्गंध पैदा करेगा दूसरी ओर समाज में अराजकता भी पैदा होगी। अनेक लोग इस प्रकार के धन को युद्ध में या अन्य किसी प्रकार के टकराव पर बर्बाद कर देते हैं, मुकेश अंबानी ने वह धन धर्मगुरुओं, राजनेताओं या समाज के अन्य वर्गों के बीच खर्च किया, यह बहुत अच्छा कार्य किया। यह वास्तव में प्रकृति का नियम है कि प्रकृति जल का शोषण करती है और वह जल फिर से इस प्रकार दे देती है कि वह पूरे समाज में आवश्यकता अनुसार जाता है, वह जल पहाड़ों पर बर्फ भी बन जाता है, वह जल नदियों का मीठा जल बन जाता है, वह जल लोगों की प्यास बुझाता है और अंत में बचा हुआ जल समुद्र में चला जाता है जिसे फिर से प्रकृति सुखाकर बादल बना देती है। यह क्रम हमेशा चलता रहना चाहिए। मैं मुकेश अंबानी को इस दिल खोल खर्च के लिए धन्यवाद देता हूं।

पिछले तीन–चार दिनों से भारतीय कम्युनिस्ट सोशल मीडिया में बहुत उछल कूद कर रहे थे। कल मैंने अंबानी परिवार के समर्थन में एक पोस्ट लिख दी यह सारे कम्युनिस्ट भाग खड़े हुए क्योंकि भारत का हर कम्युनिस्ट अच्छी तरह जानता है कि वह हिंदुओं से तो लड़ाई जीत सकता है लेकिन आर्यों से नहीं जीत सकता क्योंकि आर्य नेवले के समान है और वह अच्छे–अच्छे सांपों की सफाई कर देते हैं। यह बात कल और आज दो दिनों में सिद्ध हो गई कि किस तरह भारत के कम्युनिस्ट बिलबिलाने लगे, पीठ दिखाने लगे। सच बात भी है कि साम्यवादियों को सिर्फ आर्य समाज के लोग ही सबक सिखा सकते हैं और कोई नहीं।

मैंने भारत में कई कम्युनिस्टों को देखा है उनके साथ रहा भी हूं। मेरा अपना अनुभव यह है कि यदि तर्क के आधार पर कोई कम्युनिस्ट बन जाता है तो यह भी संभव है कि उम्र में अधिक होने के बाद उसके विचार अपने आप बदल जाए। वह तर्क करते–करते साम्यवादियों को छोड़ दे या निकाल दिया जाए लेकिन जो लोग संस्कारों से कम्युनिस्ट हो जाते हैं या किसी स्वार्थवश कम्युनिस्ट बनते हैं वह पक्के कम्युनिस्ट होते हैं, वे तर्क से नहीं समझते। इन दोनों के बीच बहुत अंतर होता है तर्क प्रधान कम्युनिस्ट खतरनाक नहीं होते।

vijkfèk;ks dh lgk;d U;k; O;oLFkk%

पिछले कुछ दिनों पहले रायपुर शहर के एक नामी अपराधी ने एक व्यक्ति से रंगदारी मांगी और न देने पर उसके साथ गंभीर मारपीट की। पुलिस ने उस अपराधी को जेल में बंद कर दिया। एक सप्ताह में ही न्यायालय से उस अपराधी की जमानत हो गई। परसों वह अपराधी जेल से छूट कर आया और आते ही तीन अन्य लोगों को साथ में लेकर उस रिपोर्ट करने वाले को गंभीर रूप से घायल करके मरा हुआ समझकर फेंक दिया। सौभाग्य से वह घायल बच गया। प्रश्न यह खड़ा होता है कि इस मामले में न्यायपालिका दोषी है कि नहीं। पुलिस ने अपना काम इमानदारी से किया न्यायपालिका ने पुलिस के विरोध के बाद भी उस अपराधी को छोड़ दिया। क्या न्यायपालिका को इस संबंध में दोषी नहीं मानना चाहिए। मेरे विचार से न्यायपालिका का पूरा सिद्धांत ही गड़बड़ हो गया है। भारत के न्यायाधीश अपने को न्याय प्रदाता मानने लगे हैं जबकि न्याय देना न्यायपालिका का काम नहीं है। न्याय तो न्यायालय, पुलिस और विधायिका तीनों मिलकर देते हैं यह जिम्मेदारी तीनों की संयुक्त रूप से है। दुर्भाग्य से वह न्याय में अपने को सहायक न मानकर न्याय प्रदाता मानने लगी है। न्यायालय हर विभाग को अपने यहां बुलाकर किसी भी मामले में लगातार सवाल जवाब करते रहता है। प्रश्न यह खड़ा होता है कि न्यायपालिका किसी के प्रति उत्तरदाई है कि नहीं। विधायिका कम से कम जनता के प्रति उत्तरदाई है 5 वर्ष में उसको जवाब देना पड़ता है न्यायपालिका तो इतनी स्वतंत्र हो गई है कि उसका कोई उत्तरदायित्व ही नहीं है। सिर्फ सवाल पूछना और दिन–रात सबको कटघरे में खड़ा करना। हमारे देश की न्यायपालिका को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि यदि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी कोई अपराधी फिर से अपराध करता है तो न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा होना चाहिए।

fgUnqvksa dks feyk cgqer dk vkljk%

पिछले दो महीने में भारत में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुआ यह बात अब साफ दिख रही है। 4 जून के पहले कश्मीर में धीरे–धीरे शांति आ रही थी, आतंकवादी बहुत भयभीत थे, आतंक की घटनाएं लगातार कम हो रही थी इसी तरह नक्सलवाद के मामले में भी उस समय नक्सलवाद दम तोड़ता हुआ दिख रहा था। ऐसा आभास होता था, मैंने लिखा भी था कि अगले तीन–चार महीने में नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा लेकिन 4 जून के बाद धीरे–धीरे कश्मीर में भी आतंकवाद बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की घटनाएं भी बढ़ रही है। 2 महीने में इतना बड़ा बदलाव होने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि कश्मीर के आतंकवादियों और छत्तीसगढ़ के नक्सलवादियों को पिछले दो महीने में यह आभास हो गया है कि अब भारत की राजनीतिक स्थिति बदल चुकी है। अब उनके पक्षकारों को सत्ता से थोड़ा ही कम समर्थन है। अब यदि नरेंद्र मोदी को 290 का समर्थन है तो राहुल गांधी को भी 240 का समर्थन है। उन्हें यहां तक आभास है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यह भी घोषणा कर दी है कि केंद्र सरकार जल्दी ही गिरने वाली है। इस विश्वास के आधार पर कश्मीर और छत्तीसगढ़ में आतंकवाद बढ़ रहा है। आतंकवादियों को इस बात का विश्वास हो गया है कि ज्यादा देर नहीं है, जब उनकी सरकार केंद्र में बन जाएगी। यह एक चिंता की बात है।

U;k;ikfydk viu y{; l iijh rjg HkVd pqdk g %

आज के अखबारों में हमने न्यायपालिका से जुड़े तीन महत्वपूर्ण समाचार पढे। एक समाचार तो यह आया कि एक व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ है, भारत में कोई व्यक्ति जेल में है वह विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति भारत के उस अपराधी से संपर्क करके उसे हत्या की सुपारी देता है। जेल में बैठा हुआ व्यक्ति किसी बाहर के व्यक्ति को यही ठेका दे देता है, जो बाहर का व्यक्ति है, वह किसी तीसरे को ठेका देता है और इस तरह तीसरा व्यक्ति आकर उस व्यक्ति की हत्या का प्रयत्न करता है। इस तरह पूरे देश भर में हत्यारों की एक श्रृंखला जुड़ी हुई है और यह दुकान पूरे देश भर में फैली हुई है। यह सीधा–सीधा एक आपराधिक व्यापार बन गया है, इस संबंध में न्यायपालिका पूरी तरह निष्क्रिय है। एक दूसरा समाचार पढ़ा कि पेपर लीक मामले में न्यायपालिका कई महीने से उसकी जड़ों तक पहुंचने के लिए सक्रिय है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इतनी गहराई तक जा रहा है कि चाहे सारा काम छूट जाए लेकिन इस नीट में हुए भ्रष्टाचार का हम गहराई तक अध्ययन करके इसको खोज कर रहेंगे और कल सुप्रीम

कोर्ट ने अंत में इसका निष्कर्ष दिया। सुप्रीम कोर्ट पूरी गहराई तक गया। तीसरी घटना आज मैंने यह भी पढ़ी कि अभी चार–पांच दिन पहले हाईकोर्ट ने बॉर्डर पर बैठे हुए कुछ किसान सड़क रोकने वालों के बारे में एक आदेश जारी किया था उस आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी चार–पांच दिन पहले ही यह आदेश दिया था। कि बॉर्डर को खाली कर दिया जाए और चालू कर दिया जाए। चार दिनों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना फैसला पलट दिया। समझ में नहीं आता कि चार दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटना क्यों इतना जरूरी समझा। हो सकता है कि वह आवश्यक भी हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात की गहराई तक जाँचने की चिंता नहीं है कि हत्यारों का एक जाल पूरे देश में फैला हुआ है इसकी गहराई तक छानबीन क्यों न की जाए। अगर पेपर लीक हो गया तो सुप्रीम कोर्ट गहराई तक जाना चाहता है अगर किसानों ने सड़क रोक रखी है तो सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में गहराई तक जाना चाहता है लेकिन सारे भारत में अपराधियों का एक जाल फैला हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गहराई तक नहीं जाना चाहता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकताएं क्या है, यह हम समझ नहीं पा रहे हैं। 140 करोड लोगों की सुरक्षा भले ही खतरे में रहे लेकिन अन्य दूसरे मामलों में जरा भी सुप्रीम कोर्ट लापरवाही नहीं करना चाहता।

xjhc] xkeh.k vkj 'kgjh dh n?kVuo'k ekr ij nkgjk jo;k %

कल दो घटनाएं एक साथ घटी। एक घटना दिल्ली में घटी जिसमें किसी एक स्कूल में पानी भर जाने के कारण तीन छात्र डूब कर मर गए, तीनों छात्र आइएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तीनों होनहार थे, देश के भविष्य थे, बहुत पढ़े लिखे थे, संपन्न घरों के थे, तीनों की मृत्यु पर सारे देश में शोक मनाया गया। दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया। सारे टीवी चौनल ने घंटों इस घटना पर चर्चा की। राज्यपाल ने भी बहुत कड़ाई करने का निर्देश दिया। स्वाभाविक है कि घटना में मरने वालों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा, क्योंकि तीनों मरने वाले देश के भविष्य थे। एक दूसरी घटना में हमारे बलरामपुर जिले में हाथियों ने तीन ग्रामीणों को उनके घर गिराकर कुचल दिया, तीनों ग्रामीण मर गए, तीनों अशिक्षित थे, गरीब थे, गांव के रहने वाले थे, किसान थे, मजदूर थे, उन तीनों की किसी भी मीडिया में चर्चा नहीं हुई, कोई कलेक्टर तक नहीं आया, उस हाथी को किसी प्रकार का दंड भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह मरने वाले ग्रामीण और गरीब थे इसलिए फॉरेस्ट डिपार्मेंट

उन्हें दो–दो लाख रुपया जूठन के तरीके मुआवजा दे देगा। भारत की व्यवस्था में समानता का नारा तो बहुत तेजी से लगाया जाता है लेकिन किसान मजदूर की कीमत हाथी की तुलना में बहुत कम मानी जाती है और दिल्ली के पढ़ने वाले छात्रों को किसी दुर्घटना में मरने की कीमत का महत्व बहुत अधिक किया जाता है। मैं नहीं समझा इस असमानता का क्या आशय है। क्या अपने घर में सो रहे गांव के लोग और दिल्ली में इस की पढ़ाई कर रहे शहर के लोगों के बीच गांव वालों की गलती बड़ी है और शहर में पढ़ने वालों की छोटी। विचारणीय प्रश्न है कि इतनी असमानता क्यों?

यदि हम बलरामपुर जिले के गांव की घटना और दिल्ली की घटना दोनों की एक साथ समीक्षा करें तो बलरामपुर की जो घटना है वह स्पष्ट रूप से हत्या है, कोई दुर्घटना नहीं है क्योंकि हत्या करने वाले हाथी कोई जंगली पशु नहीं थे, वह सरकार द्वारा संरक्षित पशु है। अगर कोई शेर या बाघ किसी गांव में घुसकर उस गांव के किसी व्यक्ति को मार दे तो यह हत्या मानी जाएगी दुर्घटना नहीं। यदि मरने वाले जंगल में जाते हैं और वहां उन्हें हाथी या शेर मार देता है तो यह दुर्घटना मानी जाएगी लेकिन उनके घर में मार देना यह पूरी तरह हत्या है। दूसरी ओर दिल्ली में जो घटना घटी है, वह दुर्घटना है वह सरकार की किसी गलत नीति के कारण नहीं घटी है लेकिन बलरामपुर की घटना सरकार की गलत नीति का परिणाम है इसलिए इन ग्रामीणों की हत्या और दिल्ली की दुर्घटना इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती।

fnYyh dh fl;klr ij dqtjhoky dk çHkko %

कल दिल्ली में एक दुःखद दुर्घटना हुई जिसमें एक शिक्षण संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण तीन नवयुवकों की मृत्यु हो गई। इस घटना पर राजनीति भी शुरू हुई। भारत में वर्तमान समय में दो ही राजनीति के अलग–अलग केंद्र हैं एक है एनडीए जिसके नेता नरेंद्र मोदी हैं जिनके पास 300 से कुछ कम सांसद हैं दूसरे हैं इंडिया गठबंधन जिसके नेता राहुल गांधी हैं जिनके पास ढाई सौ से कुछ कम सांसद हैं। इस तरह दो समानांतर शक्तियां भारत के राजनीतिक पटल पर प्रत्यक्ष दिख रही हैं। कल की जो घटना घटी उस घटना में राहुल गांधी का ग्रुप कुछ कमजोर नजर आया क्योंकि उनके प्रमुख बुद्धिजीवी अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद होने के कारण राहुल गांधी अथवा दिल्ली सरकार किसी प्रकार का उत्तर देने में कमजोर दिख रही थी। मैं जानता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होते तो अवश्य ही कल

मोदी के उछल–कूद करते हुए लोगों को जवाब देते हुए इस सारी घटना के लिए नरेंद्र मोदी को दोषी सिद्ध कर देते, नरेंद्र मोदी का ही त्यागपत्र मांग लेते। लेकिन दुर्भाग्य अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि दिल्ली में होने वाली किसी भी घटना के लिए तोड़ मरोड़ कर अरविंद केजरीवाल ने दोष प्रधानमंत्री पर ना डाला हो लेकिन कल इस बात का अभाव दिखा। राहुल गांधी भी घुमा–फिरा कर यही बात कहते रहे कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी है। बात तो राहुल की भी सही है कि जो कुछ भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इनमें व्यवस्थागत कमियां होती हैं। किसी प्रकार की नीयत का कोई प्रश्न नहीं होता, चाहे वह नीयत नरेंद्र मोदी की हो अथवा अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की लेकिन भारत के हर किसी गलत कार्य के लिए नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने के लिए अरविंद केजरीवाल से ज्यादा उपयुक्त और चालाक अभी कोई भारतीय नेता नहीं है। मैं समझता हूं कि एक–दो दिनों में अरविंद केजरीवाल छूटकर आएंगे और किसी न किसी तर्क के आधार पर कल वाली घटना के लिए नरेंद्र मोदी पर दोषारोपण करेंगे। राहुल गांधी को भी इससे काफी ताकत मिलेगी।

fgVyj d Qkely ij py jg jkgy xkèkh %

राहुल गांधी ने संसद में दो बार जोशीले भाषण दिए। मेरे विचार से राहुल गांधी जिस तरह सांप्रदायिकता और जातिवाद को उभारकर सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह बहुत खतरनाक दिशा है। समाज को इस तरह तोड़कर सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न हिटलर ने भी किया था, जिसका परिणाम सबके सामने है। वर्ग संघर्ष कराकर सत्ता प्राप्त करने के खिलाफ सारी दुनिया एकजुट हो रही है। चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ भी सारी दुनिया एकजुट हो रही है और हमास के खिलाफ भी लगातार इजरायल सफलता की तरफ में बढ़ रहा है। मैं नहीं समझ रहा कि राहुल गांधी तानाशाही और सांप्रदायिकता के इस खतरे को जो विश्वव्यापी है इस विश्वव्यापी खतरे से आंख बंद कर रहे हैं। कुर्सी के लिए सांप्रदायिकता के साथ हाथ मिलाना सारी दुनिया के लिए खतरनाक है और साथ में कम्युनिस्ट को जोड़ना तो और भी ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी अपनी नीतियों पर फिर से विचार करें। साम्यवाद और इस्लाम के गठजोड़ से सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न न दुनिया में सफल होगा, ना भारत में सफल होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सांप्रदायिकता और जातिवाद यह दोनों ही खतरनाक है। साम्यवाद और इस्लाम का गठजोड़ तो सारी दुनिया के लिए

खतरनाक है। राहुल गांधी अपनी नीतियों पर फिर से विचार करें और अगर ना विचार करें तो कांग्रेस के लोगों को इस मामले में सावधान हो जाना चाहिए। प्रश्न भाजपा या कांग्रेस का नहीं है। बल्कि यह प्रश्न सांप्रदायिकता, जातिवाद और तानाशाही के गठजोड़ का है और यह एक राष्ट्रीय समस्या है, सिर्फ राजनीतिक नहीं।

vkrdokn dk ,d vè;k; dk vr %

आज का दिन हम सब शांतिप्रिय लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता लेकर आया है कि हमारी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी इस्माइल हानिया ईरान में मारा गया है। सारी दुनिया में साम्यवाद, आधा इस्लाम आतंक के पर्याय बने हुए हैं। भारत में इन दोनों आतंकवादियों का प्रतिनिधित्व 70 वर्षों से नेहरू परिवार करता रहा है। आज भी उस परिवार के वारिस राहुल गांधी इन दोनों आतंकवादी ग्रुपों के साथ हैं। यह भारत में नक्सलवाद, साम्यवाद, मुस्लिम आतंकवाद, मुस्लिम सांप्रदायिकता इन सब का संयुक्त प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दुनिया के इस समूह को आज बहुत बड़ा झटका लगा जब ईरान के राजधानी में इस ग्रुप का सबसे बड़ा आतंकवादी इस्माइल हानिया मारा गया। कैसे मारा गया, किसने मारा यह तो अभी रहस्य बना हुआ है क्योंकि जिस जगह मारा गया, वह जगह अति सुरक्षित है। राष्ट्रपति भवन के पास इस्माइल हानिया को मारा गया। इस्माइल हानिया लंबे समय से छिपकर रहता था, ईरान के राष्ट्रपति से मिलने के लिए गया था और इस भवन के पास में हत्या होने का सीधा मतलब है कि हत्या करने अथवा हत्या कराने में इजराइल का हाथ अवश्य होगा। भले ही हत्या में ईरान सरकार के कुछ लोग शामिल हो या इस्माइल हानिया के कुछ लोग शामिल हो लेकिन योजना बनाने में इसराइल अवश्य होगा। आज भारत में भी सांप्रदायिक मुसलमान, कम्युनिस्ट और नेहरू परिवार को बहुत कष्ट हुआ होगा कि उनका एक बड़ा नेता इस प्रकार इसराइल के प्रयत्नों से मारा गया इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि आज हम सब शांतिप्रिय लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता का दिन है। इस्माइल हानिया को चाहे जिसने भी मारा हो लेकिन इसराइल इस पवित्र कार्य के लिए बधाई का पात्र है।

te dk;Øe l

कल रात्रि चर्चा कार्यक्रम में निम्न विषय पर चर्चा हुई।

''विधायिका, जो स्वयं अपराधियों के संरक्षण पर निर्भर है, वह अपराध नियंत्रण के ठोस उपाय लागू नहीं होने देती। अनावश्यक या मामूली अपराधों को गंभीर घोषित करके गंभीर अपराधों को मामूली श्रेणी में रखवाने में यह लोग पूरी तरह कुशल व सफल हैं।''

यह सर्वविदित है कि भारत की आजादी के बाद यहां पश्चिमी संस्कृति के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई। विभिन्न देशों के संविधान से थोड़ा–थोड़ा अंश लेकर भारत का संविधान पूर्ण हुआ। संविधान निर्माण सभा से जुड़े अधिकतर सदस्य पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे। शेष बचे लोग बुद्धिजीवी और वकील थे अथवा किसी देशी रियासतों के जागीरदार और जमीनदार थे, जो अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते थे। इन्हें तन्त्र व्यवस्था पर विश्वास था, लेकिन समाज व्यवस्था पर नहीं। इसलिए कि लगभग सभी पश्चिमी देशों में परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था कमजोर है अतः पाश्चात्य संस्कृति पर आधारित भारतीय संविधान में भी परिवार और समाज दोनों को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया गया। इन सामाजिक व्यवस्थाओं को तो संविधान में कहीं जगह ही नहीं मिली।

भारत लोकतांत्रिक देश बनकर आजाद हुआ लेकिन आजादी के दो–ढाई साल के अंदर ही पंडित नेहरू के नेतृत्व में यह संसदीय लोकतंत्र बनकर रह गया। संवैधानिक व्यवस्था ने संसद के तीन अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की समान अधिकार सम्पन्न इकाई की स्थापना की। तीनों के कार्य अलग–अलग हैं लेकिन सबके अधिकार बराबर होंगे। ऐसी अवधारणा थी लेकिन विधायिका में मौजूद नेता भी कम शातिर नहीं थे। उन्होंने गांधी के जाते ही कार्यपालिका और न्यायपालिका के पंख कतरने शुरू कर दिए। सर्वप्रथम तो विधायिका ने लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल दी। लोक नियुक्त तंत्र बदलकर तंत्र नियंत्रित लोक कर दिया गया। राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती कर दी गई। न्यायपालिका को एक सीमा तक सीमित कर दिया गया। और इस तरह विधायिका सर्वाधिक शक्तिशाली बन गई। आज विधायिका मनमाना संवैधानिक संशोधन कर रही है, नए नए कानून बना रही है, परिवार और समाज को तोड़ा जा रहा है लेकिन भोली–भाली जनता है जो इनकी मनमानी का आदि

हो चुकी है। विधायिका अपनी शक्ति सम्पन्नता से इतना मोहित है कि समाज को कमजोर बनाए रखने के लिए वह कोई भी हथकंडे अपना रही है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक संसद की लोकतांत्रिक तानाशाही स्थापित हो चुकी थी। विधायिका की तानाशाही स्थाई हो, सरकार का बहुमत में होना आवश्यक है। फलतः ये लोग जीत के लिए चुनाव में जी–जान की बाजी लगा देते हैं। समाज को अपनी सुरक्षा की चिंता होती है और इन नेताओं को चुनाव जीतने की चिंता होती है। सत्ता की सवारी अबाधित रहे, इसके लिए 'समाज कमजोरीकरण और अपराधी मजबूतीकरण' एक सरल उपाय है।

विधायिका और न्यायपालिका ने अपराध और असामाजिक कार्य को समझने में भूल की। गंभीर अपराध में साधारण दंड और असामाजिक कार्य में गम्भीर दंड व्यवस्था ने सामाजिक संतुलन को बिगाड़ दिया। जिसका परिणाम हुआ कि अपराधी खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं और समाज उनसे भयभीत रहता है। अपराधियों के सहयोग के बिना इनका संसदीय गलियारे तक पहुंचना भी कठिन है। तभी तो नेता और अपराधी गठबंधन समाज को लूटने में पूरी तरह कुशल और सफल हैं।

लोकस्वराज का एक सिद्धांत है कि जिस इकाई के पास जितनी अधिक शक्ति हो उसे उतना ही कम हस्तक्षेप करना चाहिए। समाज की सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है कि परिवार के पारिवारिक, गांव के ग्राम संबंधित एवं केन्द्र के केन्द्र संबंधित मामले में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चर्चा में ग्रामीण अपराधों पर नियंत्रण के लिए ग्राम न्यायालय, ग्राम सभा एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से अपराध नियंत्रण की आवश्यकता पर बात हुई। बड़े स्तर पर अपराधिक आपातकाल की स्थिति में गुप्त मुकदमा प्रणाली द्वारा अपराध नियंत्रण की व्यवस्था पर भी बात कही गई।

हम लोग चर्चा में कुल 18 साथी भाग ले रहे थे। विधायिका की मनमर्जी ना चले इस पर काफी गंभीर चर्चा हुई। सभी साथियों ने लगभग इस बात पर सहमति दी कि स्थानीय निकाय स्थानीय अपराध को रोके और जिला स्तरीय निकाय आपराधिक आपातकाल की घोषणा करके गुप्त मुकदमा प्रणाली द्वारा बढ़ते अपराध पर नियंत्रण का प्रयास करें।

संजय तांती

ज़ूम मीटिंग से जुड़ने के लिए 7869250001; 8318621282 मोबाईल नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं.

viuks ls viuh ckr %

हम लोगों ने पिछले 4–6 महीने से अपनी नीतियों में थोड़ा परिवर्तन करके एक नई राह पकड़ी थी लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं आए। इसलिए हम लोगों ने मिलकर नई योजना पर कार्य शुरू किया है। वैसे तो इस नई योजना के अंतर्गत 8 अगस्त को दिल्ली में कार्यालय फिर से शुरू करने की योजना है लेकिन अपनी नीतियों में आंशिक बदलाव की आवश्यकता और उसके तरीकों पर मैं कल एक पोस्ट लिखूंगा जिसका शीर्षक होगा 'अपनों से अपनी बात'। इस तरह मैं उचित समझूंगा कि मैं अपने सभी मित्रों से इस विषय पर फेसबुक के माध्यम से संवाद कर सकूं। कल अपनों से अपनी बात शीर्षक संवाद आपको प्रस्तुत करूंगा।

आज 'अपनों से अपनी बात' कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों से कुछ विशेष और महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। हम लोग पिछले अनेक वर्षों से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैश्विक सब प्रकार की समस्याओं पर संयुक्त रूप से चर्चा करते रहे हैं और जन जागरण करते रहे हैं। पिछले 6 महीने से हमें ऐसा महसूस हुआ कि नरेंद्र मोदी की नीयत साफ है और अगर नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर हो जाते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन का कार्य बहुत सरल तरीके से कम समय में किया जा सकता है। इस विश्वास के साथ हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के सशक्तिकरण और हिंदू सशक्तिकरण पर ज्यादा जोर देना शुरू किया लेकिन परिणाम ठीक नहीं आए और ऐसा आभास हुआ कि व्यवस्था में जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, वह सिर्फ राजनीतिक सत्ता दूर नहीं कर सकेगी। ना तो राजनीतिक सत्ता कभी इतनी मजबूत होगी और ना इतनी स्वतंत्र ही होगी इसलिए वर्तमान चुनाव में असफलता को देखते हुए हम लोगों ने अपनी नीतियों में कुछ बदलाव करना उचित समझा। अब हम यह महसूस कर रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन में सबसे बड़ी बाधा साम्यवाद, सांप्रदायिक, मुसलमान

और नेहरू परिवार की एकजुटता है। लेकिन इस समस्या का समाधान न हिंदू–मुस्लिम एकत्रीकरण है, न ही कांग्रेस भाजपा के टकराव से। इसलिए हम लोगों ने अब अलग–अलग दिशाओं में कुछ काम करना शुरू किया है। अब हम लगातार व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन जागरण की मुहिम भी चला रहे हैं। हम हिंदू एकत्रीकरण को छोड़कर समाज सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब हम कांग्रेस और मुसलमान के विरुद्ध नहीं, बल्कि मुस्लिम सांप्रदायिकता और नेहरू परिवार के विरुद्ध एकजुट हो रहे हैं। अब हम वैचारिक धरातल पर साम्यवादियों का विरोध करके नरेंद्र मोदी को अधिक से अधिक सशक्त करने के पक्षधर हैं। इस तरीके से हम लोगों ने तय किया है कि दिल्ली के कार्यालय को और मजबूत किया जाएगा। 8 तारीख को हम लोगों का दिल्ली कार्यालय भी शुरू हो जाएगा साथ ही व्यवस्था परिवर्तन के जन जागरण के उद्देश्य से हम लोग पिछले सात–आठ महीने से जूम पर बैठकर 8:00 बजे से 9:00 बजे रात तक सामाजिक समस्याओं पर विचार मंथन भी कर रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव के लिए हम लोग गांधी को आधार बनाकर बन रही गांधी फिल्म को भी अधिक से अधिक देश में प्रचारित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस तरह गांधी फिल्म जूम पर विचार मंथन और दिल्ली कार्यालय को सशक्त करके हम लोगों ने अपनी नई नीतियों पर काम शुरू किया है। हम चाहते हैं कि अब व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग न पकड़कर जन जागरण को आधार बनाया जाए। साम्यवाद, मुस्लिम सांप्रदायिकता और नेहरू परिवार के विरुद्ध पूरे समाज को एकजुट करने का प्रयत्न वर्तमान समस्याओं के समाधान की सबसे बड़ी बाधा को दूर कर सकता है, साथ ही समाज सशक्तिकरण का कार्य और अधिक सक्रियता से किया जाएगा।

lLFkku dk lekpkj %

लोक स्वराज, व्यवस्था परिवर्तन, संविधान और व्यवस्था सुधार जैसे गम्भीर व्यवस्था से सम्बन्धित वैचारिक विषयों पर ना केवल चर्चा विमर्श बल्कि जन जागरण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौशाम्बी गाज़ियाबाद स्थित दिल्ली कार्यालय का उद्घाटन दिनांक 8 अगस्त 2024 को होना तय किया गया है। आपको बताते चलें कि सुप्रसिद्ध मौलिक विचारक बजरंग मुनि जी तकरीबन 30 साल से दिल्ली कार्यालय के माध्यम से अपनी गतिविधियों का संचालन करते आये हैं। कोरोनाकाल के बाद पिछले लगभग 10 माह से मुनि जी के सबसे पुराने और विश्वसनीय साथी भाई ऋषि द्विवेदी जी ने दिल्ली में पुनः व्यवस्था

परिवर्तन की भूमि तलाशने की जिम्मेदारी उठाई। जो अब एक सक्रिय कार्यालय और एक वरिष्ठ साथियों की समिति के रूप में मूर्त रूप ले रहा है। व्यवस्था परिवर्तन पर गम्भीर चिंतन मंथन करने वाले लेखक विचारक नरेन्द्र भाई जी की अध्यक्षता में एक समिति कार्यालय के माध्यम से कार्यक्रमों का संचालन करेगी।

उक्त कार्यक्रम में ज्ञानयज्ञ परिवार रामानुजगंज छ.ग. के अध्यक्ष श्री मोहन गुप्ता जी सहित देशभर के मूर्धन्य विद्वान और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ऋषि द्विवेदी जी की अध्यक्षता में कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा।

G9 शिप्रा अपार्टमेंट, कौशाम्बी, गाज़ियाबाद।
(कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के निकट)
दिनांक– 8 अगस्त 2024 समय– सायं 7:00 बजे

क्रम"I:... thou iFk

यह भारतीय संविधान का सैद्धान्तिक दोष है कि जब इसमें भारतीय राष्ट्र/राज्य को समाजवादी घोषित किया गया था तो इसके अन्तर्गत हिन्दू वैयक्तिक विधि, मुस्लिम वैयक्तिक विधि नियामक तथा अन्य ऐसी रूढ परम्परागत, वर्गवादी एवं संगठनवादी इकाईयों की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह बहुत गम्भीर चिन्तन का विषय है। स्वतन्त्रता सार्वभौमिक होती है, नैसर्गिक होती है। व्यक्ति की मौलिक स्वतन्त्रता का कोई परिसीमन नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने से समाज में अराजकता उत्पन्न होती है और राज्य उसका कोई समाधान नहीं ढूँढ पाता है। पहले कहा जा चुका है कि धर्म का आचरण व्यक्ति का वैयक्तिक विषय है राज्यगत नहीं। इसका संवैधानिक नियमन नहीं होना चाहिए। संविधान के अन्तर्गत राज्य का दायित्व होता है कि तथाकथित धर्म के नाम का सहारा लेकर जो कोई भी समाज की स्वतन्त्रता का उलंघन करे वह उसका विधि के अनुसार दमन करे। संवैधानिक सुधार के रूप में ही सही लेकिन स्वयं को समाजवादी घोषित करने वाले भारतीय राज्य का व्यवस्था तन्त्र कभी समाज से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के भेद को न मिटा सका। हमारे संविधान की यह स्थिति हमे यह चिन्तन करने के लिए विवश कर देती है कि क्या हम समाज की मूल परिभाषा को बदलना चाहते हैं या उसे गलत सिद्ध करना चाहते हैं। . ....हमे इस दृष्टिकोण पर अवश्य ही चिन्तन करना होगा कि भारत में व्यवस्था के इस रूप का नियमन होने से समाज का वैचारिक धरातल ऊबड–खाबड़ हो गया है। भारतीय राज्य की व्यवस्था केवल धारा के विपरीत आचरण करने का विषय नहीं है बल्कि यह उस धारा के अस्तित्व को मिटा देने की तरह है जिसके तत्वावधान में हमे यहाँ प्रत्यक्ष में व्यवस्था की स्थापना करनी है। यह समाज के अस्तित्व के लिए घातक है। इन सब बातों के विपरीत यहाँ संविधान के अन्तर्गत समान नागरिक संहिता की सैद्धान्तिक स्थापना होनी चाहिए थी। क्योंकि संविधान शब्द की अवधारणा इस रूप में सिद्ध होती है कि यह व्यक्ति की स्वतन्त्रता को समुदाय, वर्ग, संगठन एवं अन्य अवसरवादी कारकों के अधीन नहीं करता है बल्कि उसकी स्वतन्त्रता को समाज की प्रकृति के अनुसार स्थापित करने के सिद्धान्त धारण करता है! .....मैं आप लोगों के सामने यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति को कभी–भी राज्य के अनुसार होने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि उसे सदैव समाज के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि राज्य नहीं बल्कि समाज सम्प्रभु होता है। यह स्वतन्त्रता का सार्वभौमिक दृष्टिकोण है। जिसे मानव–मात्र को भूमण्डलीकृत आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए! यही भारत के सनातन धर्म की अवधारणा है कि व्यक्ति को धर्म के

विषय में स्वतन्त्र होना चाहिए। उसे रूढ आस्था के आधार पर स्थापित उस संगठन का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए जो उसे साम्प्रदायिक एवं जातिवादी बनाता है। मूलतः साम्प्रदायिक आस्था धर्म का लक्षण नहीं होती है।